Changes in National Scholarship Portal (NSP) for A.Y. 2019-20

Institute Related Changes

1. All the Institutes, with valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT codes, are required to **re-register or register afresh** on National Scholarship Portal (NSP) so that they can verify the application form of their students.
2. Institutes (with valid AISHE/DISE/NCVT/SCVT codes) are required to fill Institute Nodal Officer (INO) Registration Form, and submit it to District/State Nodal officer of any scheme onboarded at NSP
3. Exceptional cases are highlighted in Application verification form, while verifying the student application

District/State Nodal Officer Related Changes

1. Facility to verify and approve Institute Nodal Officer (INO) Registration.
2. Facility to remove incorrect AISHE/DISE/NCVT/SCVT code from previously registered institutes.
3. Facility to check status of individual INO registration.
4. Status report of INO registrations in the entire district in DNO login.
5. Facility to view log of student application submission has been provided to State Nodal Officers. They can do so by providing the application ID of the student.

Student Related Changes

1. In cases where 'Institute State' is different from 'Domicile State' of the 'student', scanned copy of 'Bonafide certificate', certified from Institute is to be uploaded with the application.
2. Aadhaar exception handling mechanism is devised, in case of non-Aadhaar applications:
    a. Applicants are required to upload the scanned copy of first page of bank passbook with photograph, during registration.
    b. Applicants are required to upload scanned copy of 'Bonafide Certificate', certified from Institute.
3. The student will get the option to generate 'Bonafide certificate' through the system, after filling in all the details and selecting the scheme.
4. The student has the option to withdraw the registration in case he/she has filled incorrect details while registration or in case he/she has not submitted the application on NSP.

*****

शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में परिवर्तन

संस्थान से संबंधित परिवर्तन

1. सभी संस्थान, जिनके पास वैध एआईएसएचई / डीआईएसई / एनसीवीटी / एससीवीटी कोड हैं, के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पुनः पंजीकरण अथवा नए सिरे से पंजीकरण करना अपेक्षित है ताकि वे अपने विद्यार्थियों के आवेदन फार्म का सत्यापन कर सकें।
2. संस्थान (जिनके पास एआईएसएचई / डीआईएसई / एनसीवीटी / एससीवीटी कोड हैं) के लिए अपेक्षित है कि वे संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) पंजीकरण फार्म भरें तथा एनएसपी पर दर्ज की गई किसी भी योजना के जिला / राज्य नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत करें।
3. विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन करते समय आवेदन सत्यापन फॉर्म में असाधारण मामलों को रेखांकित किया जाता है।

जिला / राज्य नोडल अधिकारी से संबंधित परिवर्तन

1. संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) पंजीकरण का सत्यापन एवं अनुमोदन करने की सुविधा
2. पूर्व में पंजीकृत संस्थानों से गलत एआईएसएचई / डीआईएसई / एनसीवीटी / एससीवीटी को हटाने की सुविधा।
3. वैयक्तिक आईएनओ पंजीकरण की स्थिति की जांच करने की सुविधा।
4. डीएनओ लॉगिन में संपूर्ण जिले में आईएनओ पंजीकरणों की स्थिति की रिपोर्ट।
5. राज्य नोडल अधिकारियों को विद्यार्थी आवेदन जमा करने की लॉग इन देखने की सुविधा प्रदान की गई है। विद्यार्थी की आवेदन आईडी दे कर वे ऐसा कर सकते हैं।

विद्यार्थी से संबंधित परिवर्तन

1. ऐसे मामलों में जहां 'संस्थान राज्य' विद्यार्थी के 'अधिवास राज्य' से अलग है, वहां संस्थान से प्राप्त प्रमाणित 'बोनाफाईड प्रमाण–पत्र' की स्कैन की गई प्रतिलिपि आवेदन के साथ अपलोड की जानी होगी।
2. 'आधार' से रहित आवेदनों के मामले में, 'आधार' अपवादिक कार्रवाई तंत्र तैयार किया गया है:
   - क. आवेदकों से पंजीकरण के समय बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें फोटोग्राफ हो, की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना अपेक्षित है।
   - ख. आवेदकों को संस्थान से प्रमाणित 'बोनाफाईड प्रमाण–पत्र' की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करना आवश्यक है।
3. विद्यार्थियों को योजना का चयन करने और समस्त ब्यौरा भरने के पश्चात, प्रणाली के माध्यम से 'बोनाफाईड प्रमाण–पत्र' सृजित करने का विकल्प मिलेगा।
4. विद्यार्थी के पास पंजीकरण वापस लेने का विकल्प होगा है, यदि उसने पंजीकरण के समय गलत विवरण भरा हो अथवा उसने एनएसपी में आवेदन जमा नहीं किया हो।